



स्वनधि से समृद्धि

प्रलिस के लयः

प्रधानमंत्री स्वनधि, आत्मनरिभर भारत अभयान, आर्थकः प्रोत्साहन- II ।

मेन्स के लयः

वकऱस से संबधति मुद्दे, सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप, आत्मनरिभर भारत अभयान ।

चरचा में क्यँ?

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 14 राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों के अतरिकित 126 शहरों में 'स्वनधि से समृद्धि' कार्यक्रम शुरु कयऱ है ।

- भारतीय गुणता परषिद (QCI) कार्यक्रम के लयऱ कारयान्वयन भागीदार है ।

'स्वनधि से समृद्धि' कार्यक्रमः

परचयः

- यह 'पीएम स्वनधि' योजना का एक अतरिकित कार्यक्रम है, जसऱ 4 जनवरी, 2021 को 125 शहरों में पीएम स्वनधि लाभार्थयिँ और उनके परवारिँ के सामाजकऱ-आर्थकः प्रोफाइल को चहऱणति करने हेतु लॉन्च कयऱ गयऱ था ।
- यह वभिन्नि केंद्रीय कल्याण योजनाओं (8) के लयऱ लाभार्थयिँ की संभावति पात्रता का आकलन करता है और इन योजनाओं से जुड़ाव की सुवधि प्रदान करता है ।
 - इन योजनाओं में [प्रधानमंत्री जीवन ज्योतऱ बीमा योजना](#), [प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना](#), [प्रधानमंत्री जन धन योजना](#), [प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना](#), [भवन एवं अन्य नरिमाण श्रमकऱ \(रोज़गार व सेवा की शर्तों का वनियमन\) अधनियम \(BOCW\)](#), [खाद्य सुरक्षा अधनियम \(NFSA\)](#), [एक राष्ट्र एक राशन कार्ड \(ONORC\)](#), [जननी सुरक्षा योजना](#) और [प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना \(PMMVY\)](#) के तहत पंजीकरण शामिल हैं ।

कवरैजः

- चरण 1 में इसने लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडरों और उनके परवारिँ को कवर कयऱ ।
- चरण 2 का लक्ष्य 28 लाख स्ट्रीट वेंडरों और उनके परवारिँ को शामिल करना है, जसऱमें वतित वर्ष 2022-23 के लयऱ कुल 20 लाख का लक्ष्य रखा गयऱ है । शेष शहरों को धीरे-धीरे कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा ।

उपलब्धयिँ:

- वर्ष 2020-21 में (कोवडि-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतयिँ के बावजूद) यह कार्यक्रम स्ट्रीट वेंडर परवारिँ को सामाजकऱ सुरक्षा लाभ प्रदान करने में सफल रहा और इस तरह उन्हें जीवन एवं आजीवकऱ के कसऱी भी जोखमि व सुभेदयता से बचाया गयऱ ।
- इस कार्यक्रम की उपलब्धयिँ हैंः
 - पहला, वभिन्नि सामाजकऱ-आर्थकः संकेतकों के आधार पर स्ट्रीट वेंडरों एवं उनके परवारिँ का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार कयऱ गयऱ है ।
 - दूसरा, रेहड़ी-पटरी सामान बेचने वाले परवारिँ तक कल्याणकारी योजनाओं के सुरक्षा जाल का वसितार करने के लयऱ वभिन्नि केंद्रीय मंत्रालयों के बीच अपनी तरह का पहला अंतर-मंत्रालयी अभसिरण मंच स्थापति कयऱ गयऱ है ।

'पीएम स्वनधि योजना' क्या है?

परचयः

- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनरिभर नधि (पीएम स्वनधि) को आत्मनरिभर भारत अभयान के तहत आर्थकः प्रोत्साहन-II के एक हसिसे के रूप में घोषति कयऱ गयऱ था ।

- इसे 700 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजट के साथ 1 जून, 2020 से लागू किया गया था, ताकि उन स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिये कफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

■ उद्देश्य:

- शहरी क्षेत्रों में 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले वेंडिंग करने वाले 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित करना, जिनमें आसपास के पेरी-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं।
- प्रतिवर्ष 1,200 रुपए तक की राशतिक कैश-बैंक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना।

■ विशेषताएँ:

- वकिरेता 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक कसितों में चुकाने योग्य है।
- ऋण के समय पर/जल्दी चुकौती पर, त्रैमासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी।
- ऋण की जल्दी चुकौती पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। वकिरेता ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती पर बढ़ी हुई ऋण सीमा की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

■ चुनौतियाँ:

- कई बैंक 100 रुपए और 500 रुपए के बीच के स्टांप पेपर पर आवेदन मांग रहे हैं।
- बैंकों द्वारा पैन कार्ड मांगने और यहाँ तक कि आवेदकों या राज्य के अधिकारियों के CIBIL या क्रेडिट स्कोर की जाँच करने के भी उदाहरण देखे गए हैं।
 - CIBIL स्कोर किसी के क्रेडिट इतिहास का मूल्यांकन है और ऋण के लिये उनकी पात्रता निर्धारित करता है।
- पुलिस और नगर नगिम के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की शिकायतें भी मिली हैं।

■ सुझाव:

- राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा जाना चाहिये कि अधिकारियों द्वारा रेहड़ी-पट्टी वालों को परेशान न किया जाए, क्योंकि वे केवल आजीविका का अधिकार मांग रहे हैं।
- केंद्र ने आवेदक द्वारा 'पसंदीदा ऋणदाता' के रूप में सूचीबद्ध बैंक शाखाओं या जहाँ वकिरेता का बचत बैंक खाता है, को सीधे आवेदन भेजने का भी निर्णय लिया है।
- एक सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया है जो बैंकों को लगभग 3 लाख आवेदनों की जाँच करने में मदद कर सकता है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/svanidhi-se-samridhi>

